वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय,पाथाखेडा क्षेत्र,
तह-घोडाडोंगरी, जि: बैतूल- ४६०४४९
email:cgmpkda@rediffmail.com
Website : http://westerncoal.nic.in

Western Coalfields Limited,
Office of the Area General Manager,
Pathakhera Area – Th:Ghoradongri
Dist: Betul – 460 449
Ph. No: 07146 – 271363 [Fax:07146-270566]

Ref. No. WCL/PKD/ AGM/ SO (P&P) /2016/ Date: ~~10~~ 11/11/2016

प्रति,

सहायक वन संरक्षक(भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल
भोपाल

विषय:– **वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले ऑनलाईन प्रकरणों के संबध में – SATPURA-II UG Mine (97.143 Ha.) WCL Pathakhera Area.**

संदर्भ :– क्रमांक एफ–1/FP/MP/MIN/20922/2016/2359 भोपाल, दिनांक: 04 / 11 / 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयार्तगत एवं संदर्भित पत्रानुसार SATPURA-II UG Mine (97.143 Ha.) भूमि के तारतम्य में पाई गयी कमियां / त्रृटिया की पुर्ति कर बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र.	पाई गयी कमियां / त्रृटिया	आवश्यक संशोधन
1	अनु.क. B-2.4 मे Component/Activity wise breakup नही दिया गया है, जैसे वन क्षेत्र में खनिज डम्प एरिया, कार्यालय भवन, वर्कशाप अन्य संरचनाओं के निर्माण का breakup नहीं दिया गया है। यदि उक्त कार्य गैर वन भूमि में प्रस्तावित है तो उसका breakup दिया जाना चाहिए।	97.143 हे. वन भुमि का प्रस्ताव केवल भुमिगत खनन कार्य के लिये है, जिसके निचे खनन काज हो चुका है। यह प्रस्ताव नियमितीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। वन. क्षेत्र में खनीज डम्प एरिया, कार्यालय भवन, वर्कशाप अन्य संरचनाओं तथा शेष भुमिगत खनन काज के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृती प्राप्त है। निम्नलिखीत भुमि विवरण से उपरोक्त जानकारी स्पष्ट हो जायेगी (संलग्न– Annexure- A)
2	अनु.क. C-(iv) मे संलग्न जियो रिफरेंस मानचित्र जी.पी.एस. पाईट / कॉर्डिनेटस् नही दिये गये है।	कृपया ध्यान पुर्वक अवलोकन करें मानचित्र जी.पी. एस. पाईट / कॉर्डिनेटस् दिये गये है।
3	अनु.क. G-(i) में Cost-Benefit analysis में No लेख है, जबकि आवेदित वन क्षेत्र रकबा 97.143 हे. है। भारत सरकार द्वारा 20.00 हे. से अधिक के व्यपवर्तन के प्रकरणों में निर्धारित किये गये प्रपत्र में Cost-Benefit analysis दिया जाना आवश्यक है।	Cost-Benefit analysis संलग्न कर दिया गया है।
4	अनु.क. K-(i) में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11-9/98-FC(pt) दिनांक 05.07.2013 में निर्धारित प्रपत्र में संबधित जिलाध्यक्ष का प्रमाण पत्र सहपत्रों सहित संलग्न किया जाना आवश्यक है।	जिलाधिकारी बैतुल को FRA 2006 का प्रमाणपत्र नये प्रपत्र में प्राप्त करने के लिए आवेदीत किया गया है । (संलग्न पत्र)
5	अनु.क. L-(i) & (ii) में Not Applicable लेख किया गया है। CA की जानकारी नही दी गई है। यदि वन भुमि का उपरीतल का उपयोग प्रस्तावित है तो CA की जानकारी दी जाना है।	User Agency is Central Govt. PSU, CA land is identified and provide by Forest Dept. Please refer guidelines of Compensatory Afforestation Rule 1.2.3

6	अनु.क. M-2 (iii) में Approval Mining Plan copy not attached	Approval Mining Plan से संबधित पत्र सलंग्न किया गया है
7	अनु.क. M-2 (iv) में पुरानां माईनिंग प्लान संलग्न है, परंतु माईनिंग प्लान संलग्न होने का पत्र संलग्न नहीं है।	Approved Mining Plan का copy सलंग्न किया गया है
8	अनु.क. M-2 (v)(a) में बिंदु में M-2 (iv) 3D subsidence analysis report संलग्न नही किया है No Data लेख है।	3D subsidence analysis report संलग्न है।
9	अनु.क. M-2 (vi) में संलग्न मानचित्र अपठनिय एवं सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मानचित्र में नही है।	सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पठनिय मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
10	अनु.क. M-7.1(iii) में खनिज परिवहन की विस्तृत योजना संलग्न नहीं की गई है।	इस खदान से किसी भी प्रकार का खनिज परिवहन नही की जा रहा है एवं भविष्य में भी प्रस्तावित नही है।

यह जानकारी आपकी ओर उचित कार्यवही हेतु प्रेषित।

भवदिय,

मदन कुमार

एरिया प्लानिंग ऑफिसर

एरिया जनरल मैनेजर, पाथाखेडा,

Area Planning officer
Pathakhera . Area W.C.L

वन भूमि की मांग हेतू संक्षिप्त विवरण

वेकोलि पाथाखेडा क्षेत्र की सतपुडा–2 खदान (कुल वन भूमि क्षेत्र 358.334 हे0) वर्ष 1973 से भूमिगत खनन कार्य प्रारंभ किया गया। खदान का भूमिगत खनन में उपयोग की गई वनभूमि संस्थान द्वारा कोल बियरिगं एक्ट 1957 के तहत खनन अधिकार प्राप्त है।

संस्थान द्वारा उस समय आवश्यक वन भूमि का वनसं0अधि0 1980 के तहत शासन के पत्र कं0एफ–5/22/91/10/3 दि 06.02.97 के अंर्न्तगत 1349.248 हे0 मे से 107.260 हे0 एवं पत्र कं0एफ–5/49/ 2000/ 10/3 दि03.04.2001के अंर्न्तगत 42.0 हे0में सें 20.00 हे0 इस खदान के लिए खनन अधिकार की स्वीकृतियां प्राप्त की गई। इस प्रकार इस खदान के लिए कुल 127.260 हे0 (107.260 एवं 20.000) वन सं.अधि. 1980 के तहत खनन अधिकार की स्वीकृतियां प्राप्त की गई। शेष वनभुमि (32.831 एवं 97.143 हे0) का प्रस्ताव वनसं0अधि01980 के तहत वनविभाग को प्रेशित किया गया है एवं 101.100हे0 वनभुमि का वर्ष 1980 के पूर्व खनन कार्य कर लिया गया ।

आवेदित राजस्व वनभूमि क्षेत्र 97.143 हे0 मे भूमिगत खनन के कार्य वर्ष 1980 से 12.12.1996 के मध्य संपादित किये गये तत्समय इस मद की भूमि को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र कं0एफ–16–10/7/2ए/90 भोपाल दि013.08.91 के तहत वनसं0अधि01980 के प्रभाव से मुक्त रखा गया था। वर्ष 1996 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित बिंदु पर निर्णय, आवेदक संस्थान को संज्ञान मे आने के उपरांत प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतू प्रेषित किया गया। यदृपि प्रस्ताव वर्ष 1980 से 12.12.96 के मध्य किये गये भूमिगत खनन कार्य के संबंधित है, अतः वन सं0अधि01980 का उल्लधन प्रतीत नही होता है।

प्रकरण के अंर्न्तगत राजस्व वनभुमि 97.143 हे0 खनन कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में वनभुमि के अंर्न्तगत कोई भी खनन कार्य नहीं किया जा रहा है, तथा भविष्य में खनन कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न :– भुमि का विवरण –

भवदीय

क्षेत्रीय योजना अधिकारी
पाथाखेडा क्षेत्र
Area Planning officer
Pathakhera . Area . W.C.L

प्रारूप 2

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सतपुड़ा –2 खदान के क्षेत्र की जानकारी

भूमिगत खनन क्षेत्र की जानकारी

क्र0	ब्लाक नं0 तथा अधिसूचना क्र0	निजी भूमि	शासकीय भूमि	राजस्व / वन विभाग के अधीन बड़े झाड़ का जंगल/ संरक्षित वन	आरक्षित वन	योग	खदान के अन्तर्गत क्षेत्र – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् स्वीकृति की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पीकेडी मेन 2760 दिनांक 19.09.1963	–	–	–	50.110	50.110	भूमि का अधिग्रहण कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एक्ट 1957 के तहत् वर्ष 1980 के पूर्व में किया गया एवं भूमिगत खनन कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व ही किया जा चुका था।
2	पीकेडी –2 4065 दिनांक 14.10.1971	–	–	–	50.990	50.990	
3	पीकेडी–3 2617 दि: 21.08.1978	–	–	4.144	–	4.144	उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार, बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभाव से मुक्त रखा गया था. वर्तमान परिपेक्ष में ***4.144 हे0 भूमि का कार्योत्तर स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।***
4	शोभापुर 2116 दि: 22.04.83	54.389	5.175	112.615	72.370	244.549	72.370 हे0 आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति शासन के पत्र क्र0एफ–5/ 22/ 91/ 10–3 दिनांक 06.12.1997 से 1349.248 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। एवं 112.615 हे0 राजस्व विभाग के अधीन बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में से 30.976 हे0 का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु (32.831 हे0 के प्रस्ताव में सम्मिलित) प्रेषित किया जा चुका है। ***शेष 81.639 हे0 भूमि का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।*** उक्त भूमि के उपरी तल में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980, बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नहीं था, वर्तमान में नीचली तह में खनन कार्य किया जा रहा है अतः इस परिपेक्ष में स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।
5	वेस्टर्न ब्लॉक 1476 दि: 12.05.87	36.422	3.450	20.000 13.150 .... 33.215	–	73.087	20.000 हे0 संरक्षित वन भूमि की स्वीकृति शासन के पत्र क्र0एफ–5/ 49/ 2000/ 10/ 3 दिनांक 03.04.2001 के तहत् 42.000 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। शेष 13.215 हे0 में से 1.855 हे0 भूमि 32.831 हे0 भूमि के प्रस्ताव में सम्मिलित है ***व शेष 11.360 हे0 भूमि का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु*** प्रस्तावित है। उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नहीं था।
6	घसेड़ ब्लाक 2115 दिनांक 20.04.83	–	–	–	34.890	34.890	34.890 हे0 आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् शासन के पत्र क्र0एफ–5/ 22/ 91/ 10–3 दिनांक 06.12.1997 से 1349.248 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है।
	योग	90.811	8.625	149.974	208.360	457.770	

सर्वेक्षण अधिकारी
सतपुड़ा माइन नं02

खान अधीक्षक/ प्रबन्धक
सतपुड़ा माइन नं02

उपक्षेत्रीय प्रबन्धक
सतपुड़ा उपक्षेत्र

प्रपत्र 4

सतपुड़ा खदान क्र02 में कोल बियरिंग एरियाज एक्वेजिशन एक्ट 1957 के तहत् अधिगृहित एवं उपयोग की गई वन भूमि जिसकी स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् तत्समय आवश्यक नहीं था, परन्तु वर्तमान परिवेश में वन संरक्षण अधिनियम के तहत् कार्योत्तर स्वीकृति नियमितीकरण करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0	ब्लाक नं0 तथा अधिसूचना क्र0	राजस्व भूमि बड़े झाड़ का जंगल		वन भूमि आरक्षित वन भूमि		वन भूमि संरक्षित / बड़े झाड़ का जंगल		तोड़ा गया क्षेत्र 24.10.80 के पूर्व	तोड़ा गया क्षेत्र 24.10.80 के पश्चात	भविष्य में तोड़ा जाने वाला क्षेत्र	टिप्पणी
		खसरा क्र0	रकबा	कक्ष क्र0	रकबा	कक्ष क्र0	रकबा				
समस्त अधिकार											
	पोसेंडी –2 4055 दिनांक 14.10.1971 के तहत् अधिगृहित समस्त अधिकार	–	–	383 380 381	29.657 1.177 33.376		–	64.210	–		सतपुड़ा 1 खदान का मोहल्ला एवं आवासीय कालोनी तथा अन्य संरचनाएँ वर्ष 1980 के पूर्व ही स्थापित की चुकी है।
खनन अधिकार											
1	पोसेंडी मेन 2760 दिनांक 19.09.1963			383	50.11			50.11	–		भूमि का अधिग्रहण कोल बियरिंग एरियाज एक्विजेशन एक्ट 1957 के तहत् वर्ष 1980 के पूर्व में किया गया एवं भूमिगत खनन कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व ही किया जा चुका था।
2	पोसेंडी –2 4055 दिनांक 14.10.1971	–	–	383	50.99		–	50.99	–		
3	पोसेंडी-3 2617 दि: 21.08.1978	बगडोना 119/1 शोभापूर 164 (481)	3.057 0.353	–		पी 1629	0.734	–	4.144		उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980, बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नही था, वर्तमान परिवेश में स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।
4	शोभापुर 2116 दि: 22.04.83	बगडोना 119/1	39.788	–	–	पी 1629	41.851	–	81.639	–	उक्त भूमि के उपरी तल में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नही था, वर्तमान में नीचली तल में खनन कार्य किया जा रहा है अतः इस परिपेक्ष में स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।
5	पेंसर्न ब्लॉक 1476 दि: 12.05.87	93 94 112 164 481 – 0.895 482 – 1.262	0.506 0.198 8.499 2.157	–				–	11.360		उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नही था, वर्तमान परिवेश में स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।
	योग		**54.558**		**101.100**		**42.585**	**101.100**	**97.143**		
	कुल योग		**54.558**		**165.310**		**42.585**	**165.310**	**97.143**		

नोट :- कुल आवंटित क्षेत्र 97.143 हे0

सर्वेक्षण अधिकारी
सतपुड़ा माइन्स नं02

खान अधिकारी/प्रबंधक
सतपुड़ा माइन्स नं02

उपक्षेत्रीय प्रबन्धक
सतपुड़ा उपक्षेत्र

7

प्रारूप 3

सतपुड़ा खान क्र02 के अन्तर्गत राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल), वन भूमि (आरक्षित/ संरक्षित) का विवरण

		शासकीय भूमि		वन भूमि					
		बड़े झाड़ का जंगल		आरक्षित वन भूमि		संरक्षित / बड़े झाड़ का जंगल		योग	
क्र0	ब्लाक न0 तथा अधिसूचना क्र0	खसरा क्र0	रकबा	कक्ष क्र0	रकबा	कक्ष क्र0	रकबा		वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् स्वीकृति की स्थिति
1	पीकेडी मेन 2700 दिनांक 19.09.1983			383	50.11			50.11	भूमि का अधिग्रहण कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिन एक्ट 1957 के तहत् वर्ष 1980 के पूर्व में किया गया एवं भूमिगत खनन कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व ही किया जा चुका था।
2	पीकेडी –2 4055 दिनांक 14.10.1971	—	—	383	50.99	—	—	50.99	भूमि का अधिग्रहण कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिन एक्ट 1957 के तहत् वर्ष 1980 के पूर्व में किया गया एवं भूमिगत खनन कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभावी होने के पूर्व ही किया जा चुका था।
3	पीकेडी–3 2617 दि: 21.08.1978	119 / 1 164	3.057 0.353	—	—	पी 1629	0.734	4.144	उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रभाव से मुक्त रखा गया था, वर्तमान परिपेक्ष में 4.144 हे0 भूमि की कार्योत्तर स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।
4	शोभापुर 2116 दि: 22.04.83	119 / 1 129 131	69.923 0.627 0.214	383	72.37	पी 1629	41.851	184.985	72.370 हे0 आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति शासन के पत्र क0एफ–5/ 22/ 91/ 10–3 दिनांक 06.12.1997 से 1349.248 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। एवं 112.615 हे0 राजस्व विभाग के अधीन बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि में से 30.976 हे0 का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु (32.831 हे0 के प्रस्ताव में सम्मिलित) प्रेषित किया जा चुका है। शेष 81.639 हे0 भूमि का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि के उपरी तल में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्यशासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980, बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नही था, वर्तमान में नीचली तल में खनन कार्य किया जा रहा है अतः इस परिपेक्ष में स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित है।
5	वेस्टर्न ब्लॉक 1476 दि: 12.05.87	93 94 112 119 / 1 164	0.506 0.198 8.499 1.855 2.157	—	—	481 शोभा0 481 छतरपुर 432 छतरपुर	13.900 5.100 1.000	33.215	20.000 हे0 संरक्षित वन भूमि की स्वीकृति शासन के पत्र क0एफ–5/ 49/ 2000/ 10/ 3 दिनांक 03.04.2001 के तहत् 42.000 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है। शेष 13.215 हे0 में से 1.855 हे0 भूमि 32.831 हे0 भूमि के प्रस्ताव में सम्मिलित है व शेष 11.360 हे0 भूमि का प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि में खनन कार्य वर्ष 1996 के पूर्व ही किया जा चुका था, तत्समय राज्य शासन के ज्ञापन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि पर प्रभावी नही था।
6	घसेड़ ब्लाक 2115 दिनांक 20.04.83	—	—	381 383	22.05 12.84	—	—	34.890	34.890 हे0 आरक्षित वन भूमि की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् शासन के पत्र क0एफ–5/ 22/ 91/ 10–3 दिनांक 06.12.1997 से 1349.248 हे0 प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त है।
	कुल योग		87.389		208.360		62.585	358.334	

सर्वेक्षण अधिकारी
सतपुड़ा माइन नं02

अधीक्षक / प्रबन्धक
सतपुड़ा माइन नं02

उपक्षेत्रीय प्रबन्धक
सतपुड़ा उपक्षेत्र